न्यायालयः उपेन्द्र साह, सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज पूर्वी चम्पारण।

स्वत्व वाद सं0 4/22

उपेन्द्र कुमार वो0.....वादीगण

बनाम

राजदेव तिवारी वो0.....प्रतिवादीगण

Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
18-12-2025		
	वाद पुकारा गया। पुकार पर विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रस्तुत वाद में दिनांक 08.05.2025 को संशोधन हेतु आवेदन दाखिल किया गया जो आदेश हेतु निर्धारित है। प्रस्तुत वाद में वादी ने कथन किया है कि मुदालहम बमोकदमे हाजा उपस्थित होकर अपना ब्यान तहरीरी दिनांक 21.09.2022 को दाखिल किये थे इसके अलावा काउण्टर क्लेम भी दाखिल किये है। यह कि मुदालहम के बयान तहरीरी से जाहीर होता है कि मुदालहम एक बयनामा दस्तावेज दिनांक 10.04.1945 नविस्ते काषी मिश्र बनाम महादेव तिवारी का उल्लेख किया है, जिसके निष्वत जो बिल्कुल जाली–फरेवी, षून्य वो बिना मूल्य का है। ऐसी परिसिथति में वाद पत्र का संषोधन होना न्यायहित में आवष्यक है। यह कि प्रस्तावित संशोधन से वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह कि वाद में अभी कोई गवाही षुरू नहीं हुयी है वो सब्सीक्वेन्ट इभेण्ट है, ऐसी परिस्थिति में भी संशोधन आवेदन पत्र स्वीकार होने योग्य है। यह कि न्याय के हित में भी संशोधन आवेदन पत्र स्वीकार होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अर्जीनालिश में संशोधन करने की कृपा की जाए। प्रस्तुत वाद में दिनांक 30.10.2025 को प्रतिवादी सं0 1 से एवं 5 एवं 6 की ओर से वादीगण के संशोधन आवेदन दिनांक 08.05.2025 के विरुद्ध प्रत्युत्तर दाखिल कर कथित किया कि वादीगण ने जिन गलत अभिकथनों के साथ उपरोक्त आवेदन दाखिल किया है वह किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार होने योग्य नहीं है अतः काबिल खारिज के है। यह कि वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है इस वाद में वाद बिन्दुओं का गठन काफी पूर्व में हो चुका है। वादीगण ने विलंब का कोई पर्याप्त कारण भी नहीं दिया है अतः वादीगण का संशोधन आवेदन काबिल खारिज के है। यह कि वादी गण प्रस्तावित संशोधन आवेदन से जिस अनुतोष को जोड़ना चाहते हैं वह काल बाधित है। अतः वादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***	

न्यायालयः उपेन्द्र साह, सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज पूर्वी चम्पारण।

स्वत्व वाद सं0 4/22

उपेन्द्र कुमार वो0.....वादीगण

बनाम

राजदेव तिवारी वो0.....प्रतिवादीगण

Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
18-12-2025		

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।"

प्रस्तुत मामले में समस्थ तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि संशोधन को देखने से प्रतीत होता है कि संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और इससे वाद पत्र की प्रकृति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त वाद के निर्णय हेतु यह संशोधन न्यायाहित में अतिआवश्यक है। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 में यह वर्णित है कि मामले में अभिवचन में संशोधन वाद की कार्रवाई के किसी भी प्रकम में किया जा सकता है। न्यायहित में वादी का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को 500रु के खर्चे पर **स्वीकृत** किया जाता है। खर्चे की राशि व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी के नजारत में जमा किए जाएंगे तत्पश्चात ही यह आदेश पूर्णरूपेण प्रभावी होगा। वादी का निर्देश दिया जाता है कि विधिक समय सीमा के अंदर संशोधन पूर्ण करें। वाद दिनांक..... अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित व संशोधित

Upendra Sah
18/12/25

(उपेन्द्र साह)

सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज

पूर्वी चम्पारण।